

प्रारंभिक परीक्षा

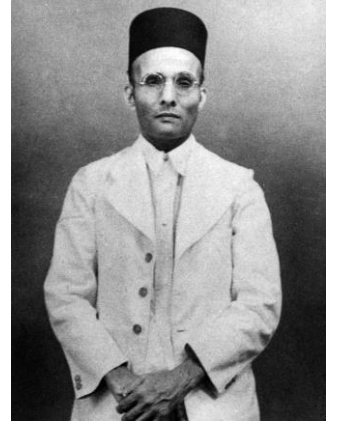
वीर सावरकर

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

वीर सावरकर के बारे में -

- **जन्म:** 28 मई 1883, भागुर, नासिक जिला, महाराष्ट्र
- **मृत्यु:** 26 फरवरी 1966, बम्बई (अब मुंबई)
- **पुस्तक:** "द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस" 1909 में, जिसमें 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक एकीकृत और राष्ट्रवादी विद्रोह के रूप में चित्रित किया गया।
- **योगदान:** 1899 में मित्र मेला की स्थापना की, जो बाद में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गयी।
 - उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की, जहाँ वे फ्री इंडिया सोसाइटी और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए।
 - उन्होंने हिंदुत्व शब्द गढ़ा और इसे 1923 में अपने पैम्फलेट "हिंदुत्व: हिंदू कौन है?" में व्यक्त किया।
 - वे 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने।
 - उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया।
 - उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जो जाति की परवाह किए बिना सभी हिंदुओं के लिए खुला मंदिर था।
- **जेल:**
 - क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 1909 में गिरफ्तार किया गया और दो आजीवन कारावास (50 वर्ष) की सजा सुनाई गई।
 - 1911 से सेलुलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (काला पानी) में कैद।
 - अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत की और जाति व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में काम किया।
 - 1948 में, सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या में सह-साजिशकर्ता के रूप में आरोप लगाया गया था; उन्हें सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था।



स्रोत: [PIB: Prime Minister pays homage to Veer Savarkar Ji](#)

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)

संदर्भ

कैबिनेट ने मौजूदा 1.5% ब्याज अनुदान (IS) के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) को जारी रखने की मंजूरी दी।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के बारे में -

- यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 100% भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- प्रारंभ: 2006-07
- उद्देश्य: किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए रियायती ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराना।
- MISS की मुख्य विशेषताएं:
 - ब्याज अनुदान: 7% ब्याज पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% अनुदान (छूट)।
 - शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI): समय पर पुनर्भुगतान से प्रभावी ब्याज 4% तक कम हो जाता है।
 - संबद्ध गतिविधियां कवरेज: पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण भी पात्र है।
 - कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए समान योजना संरचना जारी रहेगी।
- महत्व:
 - वित्तीय समावेशन: 7.75 करोड़ से अधिक KCC धारकों को सहायता प्रदान करना, छोटे और सीमांत किसानों को किरायायती संस्थागत ऋण सुनिश्चित करना।
 - कृषि ऋण में वृद्धि: KCC ऋण 4.26 लाख करोड़ रुपये (2014) से बढ़कर 10.05 लाख करोड़ रुपये (2024) हो गया; 2023-24 में कुल कृषि ऋण 25.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
 - डिजिटल सुधार: किसान ऋण पोर्टल (2023) ने पारदर्शिता बढ़ाई और सब्सिडी दावों को सुव्यवस्थित किया।

तथ्य

ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हैं।

स्रोत: [Pib: Cabinet approves continuation of Modified Interest Subvention Scheme \(MISS\) for FY 2025-26 with existing 1.5% Interest Subvention \(IS\)](#)

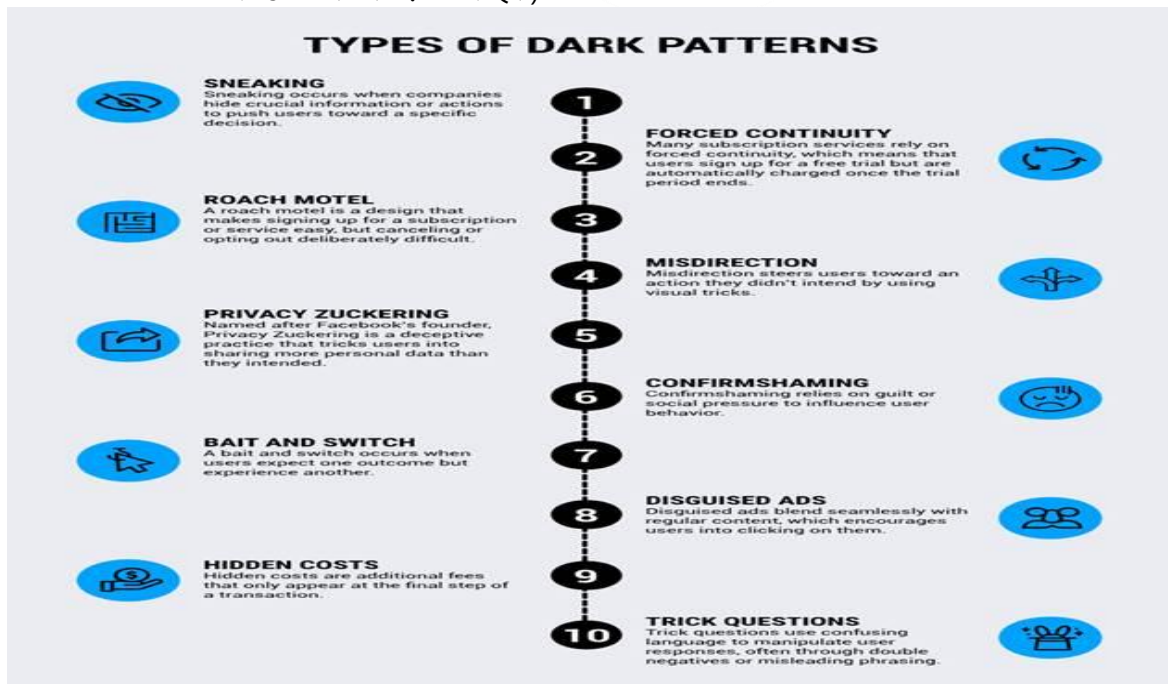
डार्क पैटर्न(Dark Patterns)

संदर्भ

CCPA ने 2023 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए डार्क पैटर्न का उपयोग करने के लिए 11 कंपनियों को नोटिस जारी किया।

डार्क पैटर्न क्या हैं?

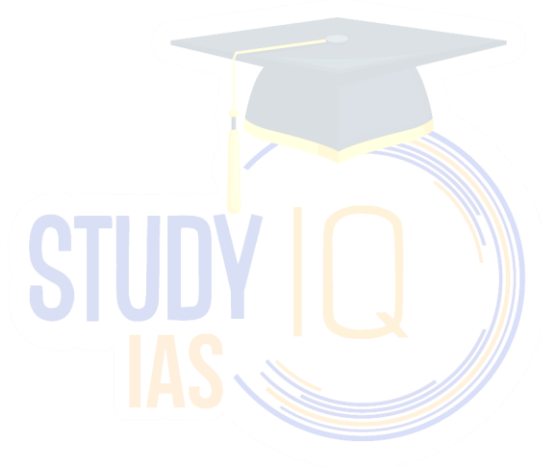
- **शब्द की उत्पत्ति:** 2010 में यूके स्थित यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर(user experience designer) हैरी ब्रिगुल द्वारा गढ़ा गया।
- **परिभाषा:** यूजर इंटरफेस को जानबूझकर उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने या उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिनका वे इरादा नहीं रखते हैं।
- **प्रभावित क्षेत्र:** ई-कॉमर्स, यात्रा, स्वास्थ्य, खुदरा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समान।
- **सामान्य उदाहरण:**
 - **बास्केट में चुपके से डालना:** यूजर की सहमति के बिना किसी वस्तु को कार्ट में डालना।
 - **भ्रामक बटन डिज़ाइन:** "स्वीकार करें(Accept)" को हाइलाइट करना (उदाहरण के लिए, कुकीज़ के लिए) जबकि "अस्वीकार करें(Reject)" विकल्प को छिपाना या छोटा करना।
 - **छिपी हुई लागतें:** अंतिम चेकआउट चरण पर ही अतिरिक्त शुल्क का खुलासा किया जाता है।
- **उद्देश्य:** उपयोगकर्ताओं को अलाभकारी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करके कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया।
- **कानूनी स्थिति:** अक्सर कानूनी अस्पष्टता के दायरे में काम करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की खामियों का फायदा उठाते हैं।
- **भारत में:**
 - **जारीकर्ता:** केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)
 - **कानूनी आधार:** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
 - **दिशा-निर्देश का नाम:** डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023
 - **अधिसूचना की तिथि:** 30 नवंबर 2023
 - **लागू:** भारत में सामान/सेवाएं प्रदान करने वाले विज्ञापनदाता, विक्रेता और प्लेटफॉर्म (ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित)



डार्क पैटर्न को नियंत्रित करना कठिन क्यों है?

- **विशिष्ट कानून का अभाव:** भारत सहित अधिकांश देशों में डार्क पैटर्न पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाने वाला कोई समर्पित कानून नहीं है।
- **व्यापक कानूनी कवरेज:** भारत में **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसके तहत डार्क पैटर्न को हमेशा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है।
- **कार्रवाई के वैश्विक उदाहरण:**
 - वर्ष 2022 में, गूगल और फेसबुक पर यूरोपीय संघ और फ्रांस में कुकीज़ को अस्वीकार करने की तुलना में उन्हें स्वीकार करना आसान बनाने के लिए जुर्माना लगाया गया था, जो एक विशिष्ट डार्क पैटर्न रणनीति है।

स्रोत: [NDTV](#)



ज़ंगेज़ुर कॉरिडोर (Zangezur Corridor)

संदर्भ

मई 2025 में अर्मेनिया ने अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान द्वारा समर्थित प्रस्तावित ज़ंगेज़ुर कॉरिडोर पर चिंता जताई है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय संतुलन को खतरा हो सकता है।



भौगोलिक संदर्भ:

- ज़ंगेज़ुर कॉरिडोर एक प्रस्तावित परिवहन मार्ग है जिसका उद्देश्य अर्मेनिया के स्पूनिक् प्रांत से गुज़रते हुए मुख्य भूमि अज़रबैजान को उसके एक्सक्लेव, नखचिवन स्वायत्त गणराज्य से जोड़ना है।
- यह कॉरिडोर अर्मेनिया के दक्षिणी स्पूनिक् प्रांत से गुज़रते हुए अज़रबैजान को नखचिवन से जोड़ेगा।
- **लंबाई:** लगभग 43 किलोमीटर।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- सोवियत काल के दौरान, अर्मेनियाई क्षेत्र के माध्यम से अज़रबैजान और नखचिवन के बीच परिवहन संपर्क मौजूद थे।
- संघर्षों, विशेष रूप से नागोर्नो-करबाख संघर्ष के कारण ये संपर्क बाधित हो गए, जिसके कारण नाकाबंदी हुई और संपर्क टूट गए।

महत्व:

- **आर्थिक:** इस गलियारे का उद्देश्य अज़रबैजान और तुर्की के बीच एक सीधा मार्ग प्रदान करके क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाना है, जिससे अज़रबैजान, आर्मेनिया और तुर्की के अविकसित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा।
- **भू-राजनीतिक:** यह तुर्की को मध्य एशिया के तुर्क राष्ट्रों से जोड़ने वाली एक रणनीतिक कड़ी के रूप में काम कर सकता है, जो अखिल तुर्की आकांक्षाओं के साथ संरेखित होगा।

हितधारकों की स्थिति:

- **अज़रबैजान और तुर्की:** इसके प्रबल समर्थक, इसे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के साधन के रूप में देखते हैं।
- **आर्मेनिया:** संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर चिंता व्यक्त की, संभावित भू-राजनीतिक बदलावों से सावधान।
- **ईरान:** इस गलियारे का विरोध कर रहा है, उसे डर है कि इससे क्षेत्रीय गतिशीलता में बदलाव आ सकता है और पारगमन मार्गों पर उसका प्रभाव कम हो सकता है।
- **रूस:** व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासों के हिस्से के रूप में गलियारे का समर्थन करता है, लेकिन ईरान की ओर से आलोचना का सामना कर रहा है।

नव गतिविधि:

- **2020 युद्धविराम समझौता:** द्वितीय नागोर्नो-करबाख युद्ध के बाद, युद्धविराम समझौते में क्षेत्रीय परिवहन संपर्क को अनब्लॉक करने के प्रावधान शामिल थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से गलियारे का संदर्भ देते थे।
- **चल रही बातचीत:** गलियारे की स्थिति और परिचालन नियंत्रण पर असहमति के साथ चर्चा जारी है।

भारत की चिंताएँ:

- भारत आर्मेनिया का समर्थन करता है, जो इस गलियारे को अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा मानता है।
- यह गलियारा तुर्की-अज़रबैजान-पाकिस्तान संबंधों को मजबूत करता है, जिससे भारत अलग-थलग पड़ सकता है।
- यह भारत के INSTC को कमज़ोर कर सकता है और चीन के BRI को फ़ायदा पहुँचा सकता है।
- भारत ईरान की चिंता को साझा करता है, क्योंकि यह गलियारा पारंपरिक ईरान-आर्मेनिया व्यापार मार्गों को बायपास करता है।
- दक्षिण काकेशस में संघर्ष बढ़ने का जोखिम है, जिससे भारत की कनेक्टिविटी और रणनीतिक हित प्रभावित होंगे।

स्रोत: [India.com: Turkey, Pakistan, Azerbaijan..., this country deeply worried about Zangezur Corridor due to..., will India back its ally?](#)

लोकपाल

संदर्भ

लोकपाल ने हिंडनबर्ग-अडानी मामले में दायर सभी शिकायतों का निपटारा करते हुए पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को क्लीन चिट दे दी, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

लोकपाल क्या है?

- लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत की गई है।
- यह प्रधानमंत्री, मंत्रियों और संसद सदस्यों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है।
- प्रथम लोकपाल अध्यक्ष: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (2019 में नियुक्त)
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- यह एक स्वतंत्र निकाय है जो किसी मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं है।

संरचना:

- अध्यक्ष: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अथवा निष्ठावान एवं अनुभवी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति।
- सदस्य: अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक)।
- आरक्षण: 50% सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाओं से होने चाहिए।
- नियुक्ति प्रक्रिया: चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा:
 - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
 - लोकसभा अध्यक्ष
 - लोकसभा में विपक्ष के नेता
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश
 - राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात विधिवेत्ता

क्षेत्राधिकार:

- प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रुप A से D तक के लोक सेवक और सरकारी धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के अधिकारी शामिल हैं।
- कुछ अपवादों (राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि) के साथ प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया है।

शक्तियां और कार्य:

- प्रारंभिक पूछताछ, जांच और अभियोजन चला सकता है।
- मामलों को सीबीआई या अन्य एजेंसियों को संदर्भित करता है।
- पूछताछ के दौरान सिविल कोर्ट की शक्तियां रखता है।

सीमाएं/अपवाद:

- निम्नलिखित मामलों में प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच नहीं की जा सकती:
 - अंतरराष्ट्रीय संबंध
 - बाह्य/आंतरिक सुरक्षा
 - सार्वजनिक व्यवस्था
 - परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष (जब तक कि पूर्ण पीठ सहमत होकर अनुमोदन न कर दे)

समाचार संक्षेप में

एशियाई जंगली कुत्ते (ढोल)

समाचार? 28 मई को विश्व ढोल दिवस (World Dhole Day) मनाया जाता है।

ढोल के बारे में -

- सामान्य नाम: एशियाई जंगली कुत्ता, सीटी बजाने वाला कुत्ता, लाल कुत्ता।
- वैज्ञानिक नाम: क्यूऑन अल्पिनस।
- परिवार: कैनिडे (dog family)।
- भौगोलिक विस्तार: मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है।
- भारत में: वर्तमान में
 - शिवालिक तलहटी,
 - पूर्वोत्तर भारत,
 - पूर्वी दक्कन पठार,
 - पूर्वी घाट,
 - पश्चिमी घाट
- पसंदीदा निवास स्थान:
 - उष्णकटिबंधीय शुष्क वन
 - उष्णकटिबंधीय नम वन
 - शीतोष्ण वन
 - कृषि वन उत्पादन
- सामाजिक व्यवहार: पारंपरिक "समूहों" के बजाय "कबीले" में रहना।
 - कबीले अक्सर 3-5 कुत्तों के छोटे शिकार समूहों में विभाजित हो जाते हैं, खासकर वसंत ऋतु के दौरान।
 - अत्यधिक सामाजिक और सहयोगी जानवर।
- ढोलों की संरक्षण स्थिति:
 - आईयूसीएन संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची: लुप्तप्राय
 - वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट II
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची II
- खतरों में शामिल हैं:
 - आवास की हानि और विखंडन
 - शिकार आधार की कमी
 - मनुष्यों के साथ संघर्ष और पशुधन शिकार
 - घरेलू कुत्तों से होने वाली बीमारियाँ



तथ्य

- इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान (विशाखापत्तनम) में ढोल की सबसे अधिक आबादी रहती है।

स्रोत: [The Hindu](https://www.thehindu.com)

संपादकीय सारांश

भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में बदलाव की जरूरत

संदर्भ

वर्षों से सरकार और नियामक **बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI)** में वृद्धिशील सुधार का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी प्रणालीगत संघर्ष जारी है।

BFSI क्षेत्र में सरकार और नियामकों द्वारा शुरू किए गए सुधार -

- **एकीकृत KYC और UBO मानदंड:** भारत, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के सदस्य के रूप में, वैश्विक KYC मानदंडों को लागू कर रहा है।
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (जैसे एलारा और वेस्पेरा फंड्स) पर विस्तृत शेयरधारक और UBO (अंतिम लाभकारी स्वामित्व) डेटा का खुलासा करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है।
 - इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना तथा मॉरीशस जैसे कर-स्वामित्व वाले देशों के माध्यम से जटिल स्वामित्व संरचनाओं के दुरुपयोग को रोकना है।
- **सेवानिवृत्ति योजना सुधार:** सरकार और आरबीआई ने दीर्घकालिक सॉवरेन बांड जारी करने को सक्षम बनाया है।
 - सेवानिवृत्ति योजना में महंगे वार्षिकी उत्पादों के स्थान पर शून्य-कूपन सरकारी प्रतिभूतियों को लाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं।
 - इससे बीमा कम्पनियों द्वारा लिया जाने वाला 2% मध्यस्थता मार्जिन समाप्त हो जाता है, जिससे दीर्घावधि में बचतकर्ताओं को लाभ मिलता है।
- **डिजिटल अवसंरचना और प्रौद्योगिकी एकीकरण:** सरकार ने निम्नलिखित प्लेटफार्मों को बढ़ावा दिया है:
 - अकाउंट एग्रीगेटर (AA) ढांचा - व्यक्तियों को वित्तीय डेटा तक सुरक्षित रूप से पहुंचने और साझा करने की अनुमति देता है।
 - केंद्रीय KYC (CKYC) रजिस्ट्री - वित्तीय संस्थानों में ग्राहकों के लिए KYC को सरल बनाती है।
 - ये प्लेटफॉर्म वित्तीय समावेशन, अंतर-संचालन और वित्त-प्रक्रिया में आसानी को बढ़ावा देते हैं।
- **कॉर्पोरेट बांड बाजार पहल:** आरबीआई ने तरलता और पारदर्शिता में सुधार के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को द्वितीयक बांड बाजार विकसित करने का आदेश दिया था।

भारत के वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियाँ -

- **BFSI में खंडित नामांकन ढांचा:** बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और बीमा में, नामांकन नियम व्यापक रूप से भिन्न होते हैं - उदाहरण के लिए, कुछ उपकरणों में एकल नामांकित व्यक्ति की अनुमति है और अन्य में भिन्न कानूनी अधिकारों के साथ कई नामांकित व्यक्ति की अनुमति है।
 - इस प्रकार की निरंतरता की कमी से सामान्य बचतकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और अक्सर कानूनी अस्पष्टताओं के कारण मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा हो जाती है।
- **उथला और अपारदर्शी कॉर्पोरेट बांड बाजार:** अनेक नीतिगत घोषणाओं के बावजूद, भारत का कॉर्पोरेट बांड बाजार अविकसित बना हुआ है, जिसमें तरलता और पारदर्शिता सीमित है।
 - पूंजी की लागत अभी भी ऊंची बनी हुई है; एक गहन बांड बाजार वित्तपोषण लागत को 2-3% तक कम कर सकता है, जिससे उद्योगों को काफी लाभ होगा।
 - आरबीआई ने एक बार द्वितीयक बांड बाजार के विकास का आदेश दिया था, लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया गया।
- **अंतिम लाभार्थी स्वामियों (UBO) का अपर्याप्त प्रकटीकरण:** वर्तमान UBO सीमा - कंपनियों के लिए 10% और साझेदारी के लिए 15% - संस्थाओं को रडार से नीचे रहने की अनुमति देती है, जिससे पूर्ण प्रकटीकरण से बचा जा सकता है।

- यह खामी नियामक निगरानी में बाधा डालती है, विशेषकर तब जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मॉरीशस जैसे अपारदर्शी क्षेत्राधिकारों के माध्यम से किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, एलारा इंडिया ऑपच्युनिटीज फंड और वेस्पेरा फंड ने विस्तृत शेयरधारक डेटा का खुलासा करने के सेबी के बार-बार अनुरोध का विरोध किया, जिससे नियामक कार्रवाई में देरी हुई।
- **महंगी और अकुशल सेवानिवृत्ति योजना साधन:** सेवानिवृत्ति योजनाएं बड़े पैमाने पर वार्षिकी-आधारित होती हैं, जो बीमा कंपनियों द्वारा लगाए गए 2% मध्यस्थता मार्जिन के कारण महंगी होती हैं।
 - 30 वर्षों में, इससे बचतकर्ताओं को मिलने वाले महत्वपूर्ण लाभ में कमी आ जाती है।
 - दीर्घकालिक शून्य-कूपन सरकारी प्रतिभूतियों जैसे सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार या आरबीआई द्वारा उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता है।
- **छाया बैंकिंग का अनियंत्रित उदय:** गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), ब्रोकर और रेपो ट्रेडर्स अब सीमित नियामक जांच के साथ बैंक जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।
 - ब्रोकर खुदरा निवेशकों को निवेश के रूप में प्रच्छन्न मार्जिन ऋण के माध्यम से वित्त प्रदान करते हैं, अक्सर स्पष्ट प्रकटीकरण के बिना, 20% से अधिक ब्याज दरों पर।
 - इन छाया बैंकिंग परिचालनों के पैमाने पर बहुत कम या कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रणालीगत जोखिम आकलन कठिन हो जाता है।

भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार आवश्यक -

- **एकीकृत एवं पारदर्शी नामांकन प्रणाली:** नामांकित व्यक्ति के अधिकारों बनाम कानूनी उत्तराधिकारी के दावों की स्पष्ट परिभाषा के साथ सभी BFSI क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण नामांकन व्यवस्था लागू करना।
 - यदि मतभेद मौजूद है, तो सरकार को डेटा और केस अध्ययनों द्वारा समर्थित तर्क प्रदान करना चाहिए।
- **कॉर्पोरेट बांड बाजार का पुनरुद्धार और गहनीकरण:** सक्रिय द्वितीयक बांड बाजार विकसित करने के लिए एनएसई को आरबीआई द्वारा दिए गए पूर्व आदेश को लागू करना।
 - पारदर्शिता में सुधार करें, ट्रेडिंग में अस्पष्टता को कम करें (जैसे, एल्गोरिदम संबंधी हेरफेर पर अंकुश लगाएं) तथा जारीकर्ता और निवेशक की अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बनाएं।
- **स्वामित्व प्रकटीकरण मानदंडों को मजबूत करना:** FATF के 2022 दिशानिर्देशों के अनुरूप, कर चोरी के अंतराल को बंद करने और आर्थिक हित का पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए UBO थ्रेसहोल्ड को संशोधित करना।
 - पूंजी बाजार की अखंडता और निवेशकों के विश्वास में सुधार के लिए सटीक, सुलभ और अद्यतन स्वामित्व रिकॉर्ड को अनिवार्य बनाना।
- **सॉवरेन बांड पर आधारित कम लागत वाले सेवानिवृत्ति विकल्पों को बढ़ावा देना:** सरकारी प्रतिभूतियों से मूलधन और कूपन घटकों को अलग करना, ताकि दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत के लिए उपयुक्त शून्य-कूपन बांड बनाए जा सकें।
 - बचतकर्ताओं को उच्चतर शुद्ध रिटर्न देने के लिए 2% बीमा मध्यस्थता परत को हटा दिया जाएगा।
- **छाया बैंकिंग गतिविधियों को विनियमित और मॉनिटर करना:** एनबीएफसी, ब्रोकर और मार्जिन उधारदाताओं की गतिविधियों पर व्यापक डेटा संग्रह करना।
 - यूरोपीय संघ के मॉडल का पालन करें जिसमें जोखिमों का आकलन करने के लिए पहले डेटा एकत्र किया जाता है और फिर साक्ष्य के आधार पर विनियमन किया जाता है।
 - अप्रत्याशित बाजार व्यवधानों से बचने के लिए विनियमन से पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

स्रोत: [The Hindu: India's financial sector reforms need a shake-up](#)

विस्तृत कवरेज

फ्रांस की नेशनल असेंबली ने सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया

संदर्भ

फ्रांस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित कर दिया है, जिसके तहत असाध्य बीमारी से पीड़ित वयस्कों को घातक दवा लेने की अनुमति दी जाएगी।

इच्छामृत्यु(Euthanasia) क्या है?

- यह किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, अक्सर किसी असाध्य स्थिति या असहनीय दर्द और पीड़ा से राहत पाने के लिए।
- इसे 'दया हत्या(Mercy Killing)' के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ऐसा कृत्य है जिसमें व्यक्ति, जो असाध्य स्थिति में होता है या जिसके बचने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि वह दर्दनाक जीवन जी रहा होता है, वह दर्द रहित तरीके से अपना जीवन समाप्त कर लेता है।
- मुख्य रूप से हैं इच्छामृत्यु के दो प्रकार हैं:
 - सक्रिय इच्छामृत्यु:** इसका तात्पर्य चिकित्सक द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य है, जिसमें आमतौर पर किसी असाध्य या मरणासन्न रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए घातक दवाएं दी जाती हैं।
 - निष्क्रिय इच्छामृत्यु:** इसका तात्पर्य जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपचार को रोकना या वापस लेना है।

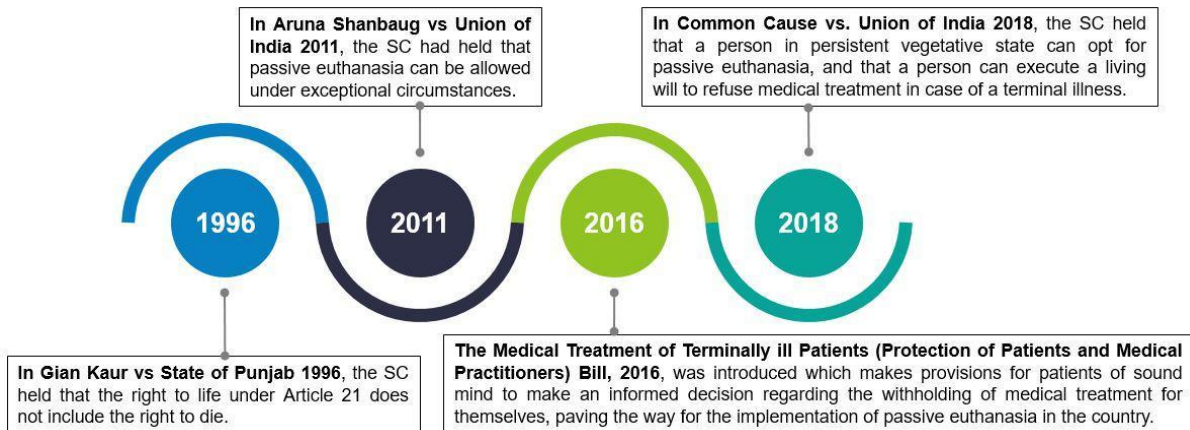
बहस	
इच्छामृत्यु को वैध बनाने के पक्ष में तर्क	इच्छामृत्यु के विरुद्ध तर्क
अनुच्छेद-21 में न्यूनतम सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और यदि यह मानक न्यूनतम स्तर से नीचे गिर रहा है तो व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।	मानव जीवन ईश्वर का उपहार है और उसका जीवन लेना गलत है तथा अनैतिक मनुष्यों को ईश्वर की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
भारत जैसे देशों में फंड की कमी है और अस्पतालों में जगह की कमी है। इसलिए डॉक्टरों और अस्पताल के बिस्तरों की ऊर्जा का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिनकी जान बचाई जा सकती है, बजाय उन लोगों की जिंदगी जारी रखने के जो मरना चाहते हैं।	यह पूरी तरह से चिकित्सा नैतिकता, मूल्यों और सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। चिकित्सा नैतिकता नर्सिंग, देखभाल और उपचार पर जोर देती है, न कि रोगी के जीवन को समाप्त करने पर।
किसी व्यक्ति को अपमानजनक तरीके से जीने के लिए मजबूर करना उस व्यक्ति की पसंद के खिलाफ है। इस प्रकार, यह व्यक्ति की पसंद को व्यक्त करता है जो एक मौलिक सिद्धांत है।	यह आशंका है कि यदि इच्छामृत्यु को वैध कर दिया गया तो अधिक असुरक्षित लोगों के अन्य समूह भी स्वयं इस विकल्प को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
यह बिना किसी दर्द के मौत की सजा देने का काम है। इसलिए, इसके पीछे उद्देश्य नुकसान पहुंचाने के बजाय मदद करना है।	फिसलन भरा ढलान प्रभाव पैदा हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सहायक हत्याएं हो सकती हैं।

विभिन्न देशों में इच्छामृत्यु पर अलग-अलग कानून -

- नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और बेल्जियम ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं जो "असहनीय पीड़ा" का सामना कर रहा हो और जिसके ठीक होने की कोई संभावना न हो।
- स्विटजरलैंड में इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध है, लेकिन डॉक्टर या फिजीशियन की उपस्थिति में सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति है।
- कनाडा ने घोषणा की थी कि मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति मार्च 2023 तक दी जाएगी; हालाँकि, इस निर्णय की व्यापक रूप से आलोचना की गई है, और इस कदम में देरी हो सकती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं। वाशिंगटन, ओरेगन और मोंटाना जैसे कुछ राज्यों में इच्छामृत्यु की अनुमति है।
- यूनाइटेड किंगडम इसे अवैध और मानव-हत्या के बराबर मानता है।

भारत में इच्छामृत्यु -

- सक्रिय इच्छामृत्यु आईपीसी की धारा 302 या 304 के तहत अपराध है।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु भारत में असाधारण परिस्थितियों में कानूनी है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु के सिद्धांत को वर्ष 2011 में कानूनी दर्जा मिला।



- 2018 के फैसले ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को प्रभावी बनाना कठिन बना दिया है क्योंकि अब इसमें दो गवाहों की उपस्थिति में लिविंग विल का निष्पादन, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकरण और दो मेडिकल बोर्ड से अनुमति शामिल है।
 - नोट: 'लिविंग विल' एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें मरीज अग्रिम सहमति दे सकता है, जिसके तहत यदि व्यक्ति स्थायी रूप से मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है और उसके बचने की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती है, तो जीवन रक्षक प्रणाली को हटाया जा सकता है।
- 2018 के निर्णय से संबंधित चिंताएँ:
 - जटिल एवं बोझिल प्रक्रिया: निर्णय के बाद से पांच वर्षों में, किसी भी असाध्य रोगी के परिवार को इसका लाभ नहीं मिला है।

2023 Simplified Guidelines on Passive Euthanasia

THE CHANGES BROUGHT

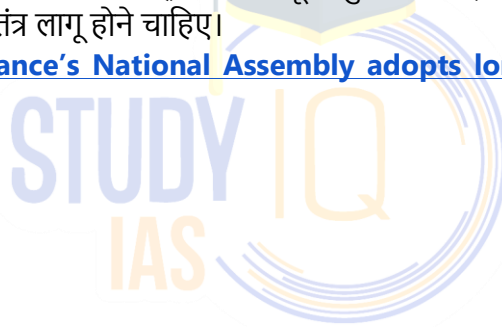
	NOW	EARLIER
Living will	An attestation by a notary or a Gazetted officer to be sufficient for a living will	It was necessary that a judicial magistrate attest or countersign a living will
Access to the living will	Living will a part of national health record which can be accessed by Indian hospitals	Living will was kept in the custody of the district court concerned
Primary board to examine patient's condition	Three doctors, including treating physician and two other doctors with five years of experience in the specialty, will comprise the primary board of doctors	Primary board of doctors needs at least four experts from general medicine, cardiology, neurology, nephrology, psychiatry or oncology with overall standing of at least 20 years
Time taken to decide	Primary/secondary board to decide within 48 hours on withdrawal of further treatment	The 2018 judgment did not specify any outer limit on withdrawal of treatment
Secondary board	Hospital must immediately constitute a secondary board of medical experts	The district collector had to constitute the second board of medical experts

- **मामले की समय संवेदनशीलता** : मानदंडों में इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया कि गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) में अधिकांश निर्णय समय के दबाव में लिए जाने की आवश्यकता होती है।
- **अस्पताल, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जानबूझ कर जीवन रक्षक प्रणाली पर रखकर मरीजों के परिजनों का आर्थिक शोषण करते हैं, जबकि उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती।**
- **सरलीकृत दिशा-निर्देश**: जनवरी 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घातक बीमारी के मामलों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के नियमों को सरल बना दिया।

सुझाव -

- **विशिष्ट कानून बनाना**: संसद को वर्तमान कानूनी खामियों को दूर करने और स्पष्टता प्रदान करने के लिए इच्छामृत्यु पर एक समर्पित कानून पेश करना चाहिए।
- **लिविंग विल प्रावधानों को मजबूत बनाना**: लिविंग विल या अग्रिम निर्देशों को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें उनके प्रारूप, वैधता और प्रवर्तनीयता का विवरण दिया जाना चाहिए।
- **अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना**: इच्छामृत्यु पर भिन्न-भिन्न विचारों को संबोधित करने और इससे जुड़े कलंक को कम करने के लिए धार्मिक समुदायों के भीतर और उनके बीच खुली चर्चा आवश्यक है।
- **जन जागरूकता बढ़ाना**: सामान्य जनता और चिकित्सा पेशेवरों को इच्छामृत्यु की कानूनी स्थिति और नैतिक पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए शैक्षिक पहल की जानी चाहिए।
- **मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना**: दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इच्छामृत्यु को जिम्मेदारी से किया जाए, सख्त कानूनी सुरक्षा उपाय, स्पष्ट प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश और कठोर नैतिक समीक्षा तंत्र लागू होने चाहिए।

स्रोत: [Indian Express: France's National Assembly adopts long-debated bill legalizing end-of-life options](#)



यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा न देने का निर्णय लिया, तथा माना कि पीड़िता ने स्वयं इस घटना को अपराध के रूप में नहीं देखा था, तथा कानूनी कार्यवाही के कारण उसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

POCSO अधिनियम की मुख्य विशेषताएं -

- **पीड़ित की पहचान की गोपनीयता:** अधिनियम मीडिया के लिए एक प्रोटोकॉल निर्धारित करता है और पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय इसके कि अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा इसकी अनुमति दी गई हो।
- **लैंगिक रूप से तटस्थ कानून:** अधिनियम में बच्चे की परिभाषा 18 वर्ष से कम आयु के "किसी भी व्यक्ति" के रूप में की गई है।
- **यौन शोषण के विभिन्न रूप:** अधिनियम में यौन शोषण के विभिन्न रूपों के बीच स्पष्ट रूप से व्याख्या और अंतर किया गया है, जिसमें गैर-प्रवेशात्मक और प्रवेशात्मक हमला, यौन हमला और गंभीर यौन हमला आदि शामिल हैं।
- **दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं:** पीड़ित किसी भी समय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, यहां तक कि दुर्व्यवहार की घटना के कई वर्षों बाद भी।
- **पोक्सो के तहत सहमति:** पोक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सभी यौन गतिविधियों को आपराधिक बनाता है, भले ही किसी विशेष मामले में दो नाबालिगों के बीच सहमति तथ्यात्मक रूप से मौजूद हो या नहीं।
- **POCSO मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना:** न्याय की शीघ्रता सुनिश्चित करना। अधिनियम में प्रावधान है कि मामलों का निपटारा एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।

पोक्सो अधिनियम में संशोधन (2019) -

- इसमें गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया।
- इसमें बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री प्रसारित करने या प्रचारित करने को अपराध घोषित किया गया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) -

- यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है।
- संरचना – अध्यक्ष (आवश्यक नहीं कि महिला हो) + 6 सदस्य (कम से कम 2 महिलाएं)
- NCPCR के पास पोक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ जिम्मेदारियां हैं जैसे राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के गठन की निगरानी, राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति की निगरानी आदि।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ -

- **मामलों की कम रिपोर्टिंग:** अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधानों के बावजूद, सामाजिक कलंक, प्रतिशोध के डर और जागरूकता की कमी के कारण कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, खासकर जब अपराधी परिवार का सदस्य हो या बच्चे का परिचित हो।
- **न्यायिक विलंब:** यद्यपि अधिनियम में प्रावधान है कि सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में, न्यायालयों पर अत्यधिक कार्यभार तथा बुनियादी ढांचे की कमी के कारण मामलों में अक्सर अधिक समय लग जाता है, कभी-कभी तो 500 दिन से भी अधिक समय लग जाता है।
 - उदाहरण के लिए, 2021 तक उत्तर प्रदेश में 77.77% POCSO मामले लंबित थे; दिल्ली में मामलों की औसत अवधि 1,284 दिन थी।

- **कम दोषसिद्धि दर:** POCSO के तहत दोषसिद्धि दर अपेक्षाकृत कम है, तथा बड़ी संख्या में लोग बरी हो जाते हैं।
 - इसमें योगदान देने वाले कारकों में अपर्याप्त जांच, साक्ष्य का अभाव, तथा मुकदमे के दौरान पीड़ित का बयान से मुकर जाना शामिल है।
 - उदाहरण के लिए, "POCSO का एक दशक" अध्ययन के अनुसार, POCSO के 43.44% मुकदमे बरी हो जाते हैं, जबकि केवल 14.03% में दोषसिद्धि होती है।
- **अपर्याप्त सहायता सेवाएं:** पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बाल मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं जैसे प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।
 - इसके अलावा, अधिनियम द्वारा अनिवार्य किए गए सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति की भी अक्सर उपेक्षा की जाती है।
 - उदाहरण के लिए, 96% मामलों में, स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद पीड़ितों को 'सहायक व्यक्ति' उपलब्ध नहीं कराया गया। (POCSO का एक दशक अध्ययन)
- **सहमति से निर्मित किशोर संबंधों का अपराधीकरण:** अधिनियम शोषणकारी यौन दुर्व्यवहार और किशोरों के बीच सहमति से निर्मित संबंधों के बीच अंतर नहीं करता है, जिसके कारण सहमति से निर्मित संबंधों को अपराधीकरण की श्रेणी में रखा गया है।
- **संवेदनशीलता और प्रशिक्षण का अभाव:** जांच अधिकारियों, अभियोजकों और न्यायाधीशों में अक्सर बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं और आघात-सूचित प्रबंधन में प्रशिक्षण का अभाव होता है।
 - असंवेदनशील जिरह और अदालती प्रक्रियाएं पीड़ितों को पुनः आघात पहुंचा सकती हैं।

आगे की राह (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाव)

- **सहमति से बनाए गए किशोर संबंधों के अपराधीकरण पर पुनर्विचार करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से इस बात की समीक्षा करने का आग्रह किया है कि क्या किशोरों (आमतौर पर 16-18 वर्ष की आयु) के बीच सहमति से बनाए गए रोमांटिक/यौन संबंधों को POCSO अधिनियम के दायरे में आना चाहिए।
 - न्यायालय ने कहा कि सहमति से संबंध बनाने वाले किशोरों को दंडित करना उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और भावनात्मक परिपक्वता के विपरीत है।
- **"युवा प्रेम" का गैर-अपराधीकरण:** POCSO अधिनियम का उद्देश्य नाबालिगों को यौन शोषण से बचाना है, न कि प्राकृतिक, सहमति से और गैर-शोषणकारी संबंधों में लिप्त किशोरों को दंडित करना।
 - न्यायालय ने बताया कि POCSO के बढ़ते मामलों में सहमति से बनाए गए संबंध शामिल हैं, जिनमें अक्सर असहमत माता-पिता या परिवारों की शिकायतों के कारण मुकदमा चलाया जाता है।
- **व्यापक यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा नीति तैयार करना:** सर्वोच्च न्यायालय ने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की सिफारिश की।
 - इस नीति में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:
 - किशोरों को स्वस्थ रोमांटिक और यौन संबंधों के बारे में शिक्षित करना।
 - प्रगतिशील, समावेशी और संवेदनशील बनाना।
 - शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों और समुदायों सहित हितधारकों के साथ परामर्श शामिल करना।
 - नौकरशाही औपचारिकता बनने के बजाय संस्थागत समर्थन प्राप्त करना।
- **अपराधीकरण के स्थान पर परामर्श को बढ़ावा देना:** सर्वोच्च न्यायालय ने किशोरों को भावनात्मक अंतरंगता और यौन स्वास्थ्य को समझने में मदद करने के लिए परामर्श और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, न कि उन्हें अपराधिक अभियोजन का शिकार बनाया जाए।

स्रोत:

- [The Hindu: How has SC deviated from POCSO in a recent judgment?](#)
- [Indian Express: 10 years of POCSO Act](#)